>

Title: Need to further strengthen law against female foeticide-laid.

**श्री रवि किशन (गोरखपुर):** हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश की बेटियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए 22 जनवरी, 2015 को "बेटी बचाओ बेटी पढ़ओ' अभियान की शुरूआत की थी । इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न योजनायें चलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य बालिकाओं के जन्म से लेकर उनके स्वावलम्बी बनने तक उनकी सुरक्षा एवं समृद्धि सुनिश्चित करना है । इन योजनाओं का व्यापक साकारत्मक प्रभाव पड़ा है । इसके फलस्वरूप बालिका भ्रूण हत्या में कमी आई है । तथापि बालिका भ्रूण हत्या आज भी गंभीर चिंता का विषय है । वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरूष महिला लिंगानुपात 1 हजार पर मात्र 918 है, जो चिंताजनक है । एक आंकड़े के अनुसार आज भी प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख बालिका भ्रूण हत्या होती है । यह एक जघन्य अपराध है, जिसको रोकने के लिए "पीसीपीएनडीटी एकट 1994" बनाया गया लेकिन इसे कांग्रेस सरकार द्वारा प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया, जिसका परिणाम हमारे सामने है । मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि बालिका भ्रूण हत्या को पूर्ण रूप से रोकने के लिए और भी कठोर कानून लाकर इसे अविलंब रोका जाये । साथ ही इस कुरीति के विरूद्ध व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए बालिकाओं की शिक्षा और उनको स्वावलंबी बनाने से लेकर उनके विवाह के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राजकीय सहायता दी जाये ।